राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 जयपुर, दिनांक 13 JUL 2020

परिपत्र

विषयः– पट्टा/लीजडीड युक्त भूखण्डों पर भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व निर्माण होने पर भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा कृषि भूमि की अनुमोदित योजनाओं, एकल पट्टे की योजनाओं में भूखण्ड पर पट्टा/लीजडीड जारी करने क उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व निर्माण कर लिया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में निर्माण की स्वीकृती जारी करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी जावे इस बाबत स्पष्ट निर्देश नही होने के कारण कई निकायों द्वारा कार्यवाही नही की जा रही है। परन्तु कई निकायों द्वारा निकाय स्तर पर शास्ति का निर्धारण कर बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ति प्रकरणों में भवन निर्माण अनुमोदन की कार्यवाही की जा रही है। अतः सभी निकायों में एकरूपता रखने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

"मौके पर किये गये निर्माण यदि भवन विनियम के मानदण्डों के अनुरूप हो तो भवन निर्माण हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के अतिरिक्त बिना स्वीकृति निर्माण हेतु अनुज्ञा शुल्क की 50 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के रूप में जमा करवायी जाकर भवन–निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही की जावे।"

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव– प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
10. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव– प्रथम

Scanned with CamScanner